रजिस्टर्ड सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D (D)-73

Central Secretariat Library Govt. of India

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 2, 1974/ कार्तिक 11, 1896
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 2, 1974/KARTIKA 11, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1974

सा० का० नि 1152.—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राजस्थान सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) बाईसवां संशोधन विनियम, 1974 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में 'राजस्थान' शीर्षक और उसके नीचे दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'राजस्थान'

1 राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	85
सरकार के मुख्य सचिव	1
अध्यक्ष राजस्व बोर्ड	1
आयुक्त-सह-सचिव/सरकार के पदेन सचिव	10
विभागीय जांच आयुक्त	1
आयुक्त, वाणिज्य कर	1
सदस्य, राजस्व बोर्ड	3
आयुक्त, क्षेत्र विकास	2
सरकार के सचिव/विशेष सचिव	9
सरकार के उप सचिव	14
बन्दोबस्त आयुक्त और पदेन चकबन्दी निदेशक	1
सामुदायिक विकास और पंचायत के निदेशक	1
मुख्य निर्वाचक अधिकारी तथा निर्वाचन निदेशक और सरकार के पदेन सचिव	1
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
समाहर्ता (कलेक्टर्स)	26
उद्योग के निदेशक	1

90 GI/74—1

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1974

सा० का० नि० 1181.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा प्रसारण केन्द्र, आकाशवाणी भर्ती नियमावली, 1958 का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव के श्रेणी-3 के पदों की भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु एतद्-द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ :—

(क) इन नियमों को आकाशवाणी (ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव) भर्ती नियमावली, 1974 कहा जा सकेगा ।

(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वर्गीकरण तथा वेतनमान :—पद का वर्गीकरण तथा इससे संबंधित वेतनमान इस नियमावली से संलग्न अनुसूची के कालम 2 और 3 में दिए अनुसार होंगे ।

भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि :—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा इनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 4 से 12 तक में दिए अनुसार होंगे ।

4. अनर्हताएं :—

(क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह किया हो या करने का विचार किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या करने का करार किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर और जिससे विवाह किया गया है, उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा किए जाने के अन्य कारण हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

5. छूट देने का अधिकार :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहां वह लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है ।

6. अपवाद :—इन नियमों की किसी बात का, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	इसका वर्गीकरण, क्या यह राजपत्रित है या अराजपत्रित और क्या लिपिक वर्गीय है या अलिपिक वर्गीय ।	वेतनमान	भर्ती पद्धति और भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा: चयन	पदोन्नति द्वारा: वरिष्ठता योग्यता
1	2	3	4	5	6
ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव	सामान्य केन्द्रीय सिविल सेवाएं श्रेणी-3 अलिपिक वर्गीय अराजपत्रित	210-10-290-द०रो०-15-320-द० रो०-15-425-द० रो०-15-470 रुपये	सीधी भर्ती 85 प्रतिशत (1) प्रसारण केन्द्र, आकाशवाणी भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1974 के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के लिए 15 प्रतिशत का पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जायगा और सीधी भर्ती का कोटा उसी अनुपात में घटा दिया जायेगा ।	लागू नहीं होता	विभागीय पदोन्नति 15 प्रतिशत वरिष्ठता-व-योग्यता (1) प्रसारण केन्द्र, आकाशवाणी भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1974 के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के लिए 15 प्रतिशत का पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जायेगा और सीधी भर्ती का कोटा उसी अनुपात में घटा दिया जायेगा ।

1	2	3	4	5	6	7
			(2) सीधी भर्ती के कोटे और पदोन्नति के कोटे के बीच रिक्तियों के आवंटन के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के आकाशवाणी के सभी केन्द्रों या कार्यालयों की रिक्तियां इकट्ठी की जायेगी ।		(2) सीधी भर्ती के कोटे और पदोन्नति के कोटे के बीच रिक्तियों के आवंटन के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के आकाशवाणी के सभी केन्द्रों या कार्यालयों की रिक्तियां इकट्ठी की जायेंगी ।	
			(3) सीधी भर्ती के कोटे और विभागीय पदोन्नति कोटे की रिक्तियां राज्य-वार भरी जायेंगी । किसी विशिष्ट राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सभी केन्द्रों के लिये सीधी भर्ती प्रत्येक मामले में इस अनुसूची के परिशिष्ट 'क' में निर्दिष्ट आकाशवाणी केन्द्र के प्रमुख द्वारा की जायेगी ।		(3) सीधी भर्ती के कोटे और विभागीय पदोन्नति कोटे की रिक्तियां राज्य-वार भरी जायेंगी । किसी विशिष्ट राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सभी केन्द्रों के लिए सीधी भर्ती प्रत्येक मामले मे इस अनुसूची के परिशिष्ट 'क' मे निर्दिष्ट आकाशवाणी केन्द्र के प्रमुख द्वारा की जायेगी ।	
			(4) सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति के लिए आरक्षित कोटे के अधीन रहते हुए ग्रेड के स्थायीकरण राज्यवार किया जायेगा ।		(4) सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति के लिए आरक्षित कोटे के अधीन रहते हुए ग्रेड मे स्थायीकरण राज्यवार किया जायेगा ।	
			(5) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, गोआ तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को इस नियमावली के प्रयोजन हेतु राज्य के रूप मे माना जायेगा, जबकि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों को इस नियमावली के प्रयोजन हेतु प्रत्येक के सम्मुख दिखाए गए राज्य का भाग माना जायेगा —		(5) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, गोआ तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को इस नियमावली के प्रयोजन हेतु राज्य के रूप में माना जायेगा, जबकि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों को इस नियमावली के प्रयोजन हेतु प्रत्येक के सम्मुख दिखाए गए राज्य का भाग माना जायेगा —	
			क्रम संख्या / संघ राज्य क्षेत्र का नाम / जिस राज्य के साथ इसको मिलाने का प्रस्ताव है ।		क्रम संख्या / संघ राज्य क्षेत्र का नाम / जिस राज्य के साथ इसको मिलाने का प्रस्ताव है ।	
			1 अरुणाचल प्रदेश — मेघालय		1 अरुणाचल प्रदेश — मेघालय	
			2 चंडीगढ़ — पंजाब		2 चंडीगढ़ — पंजाब	
			3 लक्षद्वीप — केरल		3 लक्षद्वीप — केरल	
			4 मिजोरम — मेघालय		4 मिजोरम — मेघालय	
			5 पांडीचेरी — तमिलनाडु		5 पांडीचेरी — तमिलनाडु	

पदोन्नति द्वारा स्थानान्तरण	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं आदि: आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं आदि: अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	परिवीक्षा की अवधि	पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के लिए अर्हताएं आदि: क्या सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के मामले में लागू होंगी	वे ग्रेड/स्रोत जिनसे पदोन्नति स्थानान्तरण किया जाता है
7	8	9	10	11	12
लागू नहीं होता ।	18-30 वर्ष ।	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री जो द्वितीय श्रेणी से कम न हो या समकक्ष परीक्षा पास । (2) साहित्यिक या नाटक संबन्धी या वाद-विवाद संबंधी गतिविधियों का रिकार्ड या साहित्यिक या वैज्ञानिक विषयों पर प्रकाशन । (3) सम्बन्धित आकाशवाणी केन्द्र या कार्यालय की मुख्य भाषाओं में से एक भाषा की जानकारी ।	2 वर्ष	नहीं	(1) संघीय वित्तीय एकीकरण के समय भूतपूर्व भाग 'ख' राज्यों से संबंधित वे कार्यक्रम सचिव, स्टूडियो एक्जीक्यूटिव, जूनियर पुस्तकाध्यक्ष तथा उद्घोषक जिनकी अपने-अपने ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो । (2) वे सीनियर पुस्तकाध्यक्ष जिनकी ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा हो ।

परिशिष्ट 'क'

सम्बन्धित राज्यों में आकाशवाणी के केन्द्रों के नामों की सूची

राज्य का नाम	केन्द्र का नाम
1. आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
2. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
3. आसाम	गोहाटी
4. बिहार	पटना
5. दिल्ली	दिल्ली केन्द्र
6. गुजरात	अहमदाबाद
7. गोआ	पणजी
8. हरियाणा	रोहतक (स्थापित होने पर)
9. हिमाचल प्रदेश	शिमला
10. जम्मू और काश्मीर	श्रीनगर
11. कर्नाटक	बंगलौर
12. केरल	त्रिवेन्द्रम
13. मध्य प्रदेश	भोपाल
14. महाराष्ट्र	बम्बई
15. मेघालय	शिलांग
16. मणिपुर	इम्फाल
17. नागालैंड	कोहिमा
18. उड़ीसा	कटक
19. पंजाब	जलंधर
20. राजस्थान	जयपुर
21. तमिल नाडु	मद्रास
22. त्रिपुरा	अगरतल्ला
23. उत्तर प्रदेश	लखनऊ
24. पश्चिम बंगाल	कलकत्ता

[संख्या 1/2/74-बी(ए)]

एम० एल० टंडन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 9th October, 1974

G.S.R. 1181.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Broadcasting Stations, All India Radio Recruitment Rules, 1958, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class III posts of Transmission Executive in the All India Radio, namely :—

1. Short Title and Commencement: (1) These rules may be called the All India Radio (Transmission Executives) Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Classification and scale of pay : The classification of post and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 and 3 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, qualifications etc.: The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matter connected there with shall be as specified in columns 4 to 12 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications : No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax : Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

6. Saving: Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Its Classification whether Gazetted or non-Gazetted and whether Ministerial or non-Ministerial	Scale of Pay	Method of recruitment and percentage of vacancies to be filled by			
			Direct Recruitment	Promotion Selection	Promotion Seniority Fitness	Transfer
1	2	3	4	5	6	7
Transmission Executive.	General Central Civil Services Class-III Non-Ministerial Non-Gazetted.	Rs. 210-10-290-EB-15-320-EB-15-425-EB-15-470.	Direct Recruitment 85% (1) The Promotion Quota of 15% would be raised to 50% and the direct recruitment quota reduced correspondingly for a period of two years from the date of commencement of the Broadcasting Stations, All India Radio Recruitment (Amendment) Rules, 1974. (2) For the purpose of allocation of vacancies between the direct recruitment quota and promotion quota the vacancies, at all the Stations or Offices of All India Radio in a particular State or union territory would be pooled together.	Not applicable	Departmental promotion 15% seniority cum fitness (1) The Promotion Quota of 15% would be raised to 50% and the direct recruitment quota reduced correspondingly for a period of two years from the date of commencement of the Broadcasting Stations, All India Radio Recruitment (Amendment) rules, 1974. (2) For the purpose of allocation of vacancies between the direct recruitment quota and promotion quota, the vacancies at all the Stations or Offices of All India Radio in a particular State or union territory would be pooled together.	Not applicable

1	2	3	4	5	6
			(3) Vacancies in the direct recruitment quota as well as departmental promotion quota will be filled State-wise Direct recruitment for all the Stations in a particular State or Union territory will be made by the Head of All India Radio Station indicated in each case in Annexure 'A' to this Schedule.		(3) Vacancies in the direct recruitment quota as well as departmental quota will be filled State-wise. Direct recruitment for all the Stations in a particular State or Union territory will be made by the Head of All India Radio Station indicated in each case in Annexure 'A' to this Schedule.
			(4) Confirmation in the grade will be made State-wise subject to the quota reserved for directc recruitment and departmental promotion.		(4) Confirmation in the grade will be made State-wise subject to the quota reserved for direct recruitment and departmental promotion.
			(5) Each of the Union territories of Delhi, Goa and Andaman and Nicobar Islands will be treated as a State for the purpose of these Rules, while the following Union territories shall be treated as part of the State shown against each for the purpose of these rules :		(5) Each of the Union Territories of Delhi, Goa and Andaman and Nicobar Islands will be treated as a State for the purpose of these Rules, while the following Union territories shall be treated as part of the State shown against each for the purpose of these rules :

S. No.	Name of the Union Territory	State to which it is proposed to be grouped
1.	Arunachal Pradesh	Meghalaya
2.	Chandigarh	Punjab
3.	Lakshadweep	Kerala
4.	Mizoram	Meghalaya
5.	Pondicherry	Tamil Nadu

S. No.	Name of the Union Territory	State to which it is proposed to be grouped
1.	Arunachal Prades	Meghalaya
2.	Chandigarh	Punjab
3.	Lakshadweep	Kerala
4.	Mizoram	Meghalaya
5.	Pondicherry	Tamil Nadu

Qualifications etc. direct recruitment		Period of probation	Qualifications etc. for recruitment by Promotion/Transfer	
Age limit	Educational and other qualifications required		Whether Educational Qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of appointment by promotion/transfer.	Grades/sources from which promotion/transfer are to be made.
8	9	10	11	12
18—30 years.	Essential : (1) Degree with not less than Second Division of a recognised University or equivalent qualification. (2) A record of literary or dramatic or debating activities or publications on literary or Scientific Subjects. (3) Knowledge of one of the major languages of the concerned All India Radio Station or Office.	2 Years	No	(1) Programme Secretaries, Studio Executives, Junior Librarians and Announcers belonging to the former Part-'B' States at the time of Federal Financial Integration with five year's service in their respective grades. (2) Senior Librarians with three years' service in the grade.

ANNEXURE 'A'

List showing the names of All India Radio Stations in the respective States

Name of State	Name of Station
1. Andhra Pradesh	Hyderabad
2. Andaman and Nicobar Islands	Port-Blair
3. Assam	Gauhati
4. Bihar	Patna
5. Delhi	Delhi Station
6. Gujarat	Ahmedabad
7. Goa	Panaji
8. Haryana	Rohtak (When set-up)
9. Himachal Pradesh	Simla
10. Jammu and Kashmir	Srinagar
11. Karnataka	Bangalore
12. Kerala	Trivandrum
13. Madhya Pradesh	Bhopal
14. Maharashtra	Bombay
15. Meghalaya	Shillong
16. Manipur	Imphal
17. Nagaland	Kohima
18. Orissa	Cuttack
19. Punjab	Jullundur
20. Rajasthan	Jaipur
21. Tamil Nadu	Madras
22. Tripura	Agartala
23. Uttar Pradesh	Lucknow
24. West Bengal	Calcutta

[No. 1/2/74-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर, 1974

सा० का० नि० 1182:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश संचार सेवा (वर्ग 1 पद) भर्ती नियम 1963 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम विदेश संचार सेवा (वर्ग 1 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेश संचार सेवा (वर्ग 1 पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में, क्रम संख्या 6-क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

[सं० ए०-12018/2/70-ओ० सी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

New Delhi, the 15th October, 1974

G.S.R. 1182.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Overseas Communications Service (Class I posts) Recruitment Rules, 1963.

1. (1) These rules may be called the Overseas Communications Service (Class I posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Overseas Communications Service (Class I posts) Recruitment Rules, 1963 serial No. 6-A and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. A 12018/2/70-OC]

सा० का० नि० 1183:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश संचार सेवा में उपनिदेशक (प्रशासन) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है ; अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —इन नियमों का नाम विदेश संचार सेवा [उपनिदेशक (प्रशासन)] भर्ती नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3 नियुक्ति की पद्धति, अर्हताएं, आदि :—नियुक्ति की पद्धति, अर्हताएं और इससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।